THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The various issues including the ones mentioned in the question are under discussion at the various IPCC-Meetings.

उत्तर प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन

187. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन न हो।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन वाले मामलों में निर्णय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार लिया जाता है।

गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

188. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे उद्योग अभी भी कार्यरत हैं ;

(ग) यदि हां, तो इनको कार्य करते रहने की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कौन-कौन से उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) : जी, हां। सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठा रही है जिसके अनुसार 16 मई, 1981 को या उससे पहले तथा 16 मई, 1981 के पश्चात् (लेकिन 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व) स्थापित उद्योगों द्वारा क्रमशः 31 दिसम्बर, 1992 तथा 31 दिसम्बर, 1993 तक निर्धारित मानकों का पालन किया जाना अपेक्षित है। कार्यवाई को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 17 उद्योग श्रेणियों की शिनाख्त की गई है।

गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दोषी इकाइयों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर करके कार्यवाई की है। चूंकि मामले लम्बित हैं, इसलिए दोषी उद्योग चल रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार बड़े और मझौले उद्योगों की अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की 17 श्रेणियों में दोषियों की निगरानी कर रही है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि गुजरात में 212 इकाइयों में से 153 इकाइयां पूरी तरह से मानकों का पालन कर रही हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रयोजन के लिए स्थापित अपने कृत्यक बलों के द्वारा उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति की प्रगति की निगरानी कर रहा है।